न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 59/2022

GCMS NO. : 2022/107

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. इन्द्रसिंह पुत्र घीसूसिंह जाति– पुरोहित, निवासी– निम्बोल जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर राज0।		1. जसाराम पुत्र घीसाराम जाति–माली निवासी निम्बोल तहसील जैतारण 2. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर, राज0।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956.

तारीख रजू:.20/04/2022

उपस्थितः–1. श्री नितेश चौहान, श्री चेतनप्रकाश व श्री गौतम कुमार, अधिवक्ता वादी।
2. श्री जब्बरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता प्रतिवादी।

दिनाँकः– 27/03/2024

–:: निर्णय ::–

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त व हक सुदा की भूमि राजस्व मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतरण जिला ब्यावर राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 337 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है। जिस पर वादी आपने पिता के समय से ही काबिज काश्त चला आ रहा है एवं एक मात्र वादी ही काबिज काश्त चला आ रहा है एवं एक मात्र वादी ही काबिज खातेदार काश्तकार उक्त खसरा नम्बर भूमि में वादी का 1/4 वां हक हिस्सा बनता है नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है, जिसे वाद पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उक्त विवादित आराजी वक्त सेटलमेण्ट से लेकर आज दिन तक वादी एवं उनसे पिता ही काबिज काश्त चले आ रहे है, लेकिन गलती से संवत् 2057 से 2060 तक की जमाबन्दी में नामान्तरण संख्या 2012 दिनांक 15.03.2005 को दर्ज किया गया जो गलत इन्द्राज हो गया। जबकि नामान्तरण में भी उक्त खसरान की भूमि में वादी का हिस्सा शेष बदस्तुर लिखा गया है। लेकिन प्रशासन गाँवों के संग अभियान कैम्प निम्बोल में जारी किया गया तथा जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 तक की प्रविष्ठि में हुई रोंग एन्ट्री प्रतिवादीगण संख्या 01 के नाम [illegible] ही गई। जिससे प्रतिवादीगण संख्या 01 की नियतबद्ध हो गया। इसलिए [illegible] प्रविष्टी को हटवाने का एवं उक्त स्थान पर अपने नाम की [illegible] करवाने का अधिकार होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती की [illegible] के समक्ष स[illegible]श है। प्रतिवादीगण संख्या 01 नियतबद्ध हो चुका है। अपने नाम का राजस्व [illegible] होने का फायदा उठाकर इस भूमि को किसी अन्य को बैचान/हस्तान्तरण करने को उतारू है

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण(ब्यावर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:11:04 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 30.03.2021 को प्रतिवादीगण संख्या 01 ने ऐलानिया कथन किया कि उक्त सम्पति को किसी अजनबी क्रेता को बेचान कर दुगां व तुम्हे बेदखल कर देगा यदि प्रतिवादीगण ऐसा कर देता है सम्पति बैचान कर देता है तो वादी को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी तथा वादी ऐसे अनैतिक कार्यो का मौके पर विरोध करेगा जिससे मौके पर विवाद होगा तथा मल्टी प्लीसिटी ऑप प्रोसिडिग्स होगी। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। बिनाय वाद दिनांक 30.03.2021 को प्रतिवादीगण द्वारा उक्त सम्पति बैचान बक्सीस हस्तान्तरण करने का एलानिया कथन करने पर बकुमाम निम्बोल तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में पैदा हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से वादपत्र अन्दय मियाद श्रीमान के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 जसाराम द्वारा इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ने इकबालिया जवाब दावा में यह कथन किया है कि वादी का वादपत्र माफिक इस्तदुंआ वादपत्र वादी के पक्ष में निर्णित व डिक्री किया जाता है तो उसमें जवाब देहन्दागण प्रतिवादीगण को कोइ आपत्ति ऐतराज नहीं है। वादी का वादपत्र वादी के पक्ष मे माफिक इस्तदुंआ वादपत्र के निर्णित व डिक्री फरमावें।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम राजस्व मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 337 रकबा 10–10 बीघा कृषि भूमि आई हुई है। जिस पर वादी अपने पिता के समय से ही काबिज काश्त चला आ रहा है एवं एक मात्र वादी ही काबिज काश्त चला आ रहा है एवं एक मात्र वादी ही काबिज खातेदार काश्तकार उक्त खसरा नम्बर भूमि में वादी का 1/4 वां हक हिस्सा बनता है। वादी का नामान्तरण संख्या 2012 दिनांक 15.03.2005 के समय वादी के नाम की जगह सहवन से प्रतिवादी जसाराम पुत्र घीसाराम माली दर्ज कर दिया गया जो कि एक त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है, क्योंकि उक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार जसाराम पुत्र घीसाराम माली न होकर इन्द्रसिंह पुत्र घीसूसिंह है। अतः वादी के नाम की अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि जसाराम पुत्र घीसाराम माली के स्थान पर वादी के सही व वास्तविक नाम की प्रविष्टि इन्द्रसिंह पुत्र घीसूसिंह इन्द्राज किए जावें। वादी द्वारा वादपत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में साक्ष्य शपथपत्र PW-1 पेश कर वादपत्र के कथनों की पुष्टि की है। प्रदर्श–1 वादी द्वारा प्रस्तुत की जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 व प्रदर्श– 2 ग्राम निम्बोल नामान्तरण पंजिका तथा प्रदर्श– 3 ग्राम निम्बोल के खसरा नम्बर 337 की जमाबन्दी सम्वत् 2060 से 2057 में इन्द्रसिंह पुत्र घीसू हि. 1/4 बतौर खातेदार दर्ज है। इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेजात, वादी के साक्ष्य शपथ पत्र एवं प्रतिवादी के इकबालिया बयान से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम निम्बोल के नामान्तरकरण पंजिका में म्यूटेशन संख्या 2012 दिनांक 15.03.205 का इन्द्राज करते समय सहवन से ''इन्द्रसिंह पुत्र घीसूसिंह'' के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally Signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:11:04 IST
Reason: Self Attested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड–अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,जैतारण(ब्यावर)

जसाराम पुत्र घीसाराम'' की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि दर्ज हो गई जो कि एक रोंग एन्ट्री है क्योंकि वादग्रस्त आराजी का सही व वास्तविक खातेदार काश्तकार वादी इन्द्रसिंह पुत्र घीसूसिंह है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि उपलब्ध दस्तावेजात्, साक्ष्य वादी से यह स्पष्ट होता हैं कि ग्राम निम्बोल की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 337 रकबा 10–10 बीघा के भू अभिलेख में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के रूप में दर्ज प्रविष्टि ''जसाराम पुत्र घीसाराम'' को विलोपित करवाते हुये उसके स्थान पर सही व वास्तविक खातेदार काश्तकार के नाम की प्रविष्टि ''इन्द्रसिंह पुत्र घीसूसिंह'' दर्ज करवाने का वादी अधिकारी है क्योकि प्रत्येक खातेदार का यह प्राथमिक अधिकार होता है कि उससे सम्बन्धित भू–अभिलेख की समस्त प्रविष्टियां त्रुटि रहित एवं शुद्ध हो। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 एवं धारा– 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा निम्बोल, पटवार हल्का निम्बोल, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 337 रकबा 10–10 बीघा किस्म बारानी दोयम के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज ''***जसाराम पुत्र घीसाराम***'' के नाम की अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर वादग्रस्त आराजी के सही व वास्तविक खातेदार के नाम की शुद्ध एवं सही प्रविष्टि ***''इन्द्रसिंह पुत्र घीसूसिंह''*** दर्ज करते हुये वादी इन्द्रसिंह पुत्र घीसूसिंह को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है तथा अन्य शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक् से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला– ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 27/03/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:11:04 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

न अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

जलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादी :–

1. इन्द्रसिंह पुत्र घीसूसिंह
जाति– पुरोहित, निवासी–
निम्बोल जैतारण, तहसील–
जैतारण, जिला– ब्यावर राज0।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. जसाराम पुत्र घीसाराम
जाति–माली निवासी निम्बोल
तहसील जैतारण
2. तहसीलदार जैतारण

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

मु0न0 :रा0वा0 स0: 59/2022
निर्णय व डिक्री दिनाँक : 27.03.2024

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री नितेश चौहान, श्री चेतनप्रकाश, श्री गौतम कुमार, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री जब्बरसिंह पुरोहित, अधिवक्ता, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 एवं धारा– 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा निम्बोल, पटवार हल्का निम्बोल, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 337 रकबा 10–10 बीघा किस्म बारानी दोयम के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज ***''जसाराम पुत्र घीसाराम''*** के नाम की अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर वादग्रस्त आराजी के सही व वास्तविक खातेदार के नाम की शुद्ध एवं सही प्रविष्टि ***''इन्द्रसिंह पुत्र घीसूसिंह''*** दर्ज करते हुये वादी इन्द्रसिंह पुत्र घीसूसिंह को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है तथा अन्य शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक् से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27/03/2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:11:04 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक अधिकारी (जैतारण)
(जिला–ब्यावर)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	-00	स्टाम्प वकालतनामा	04	-00
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		/	महनताना वकील		
महनताना वकील		/	खर्चा गवाहान		/
खर्चा गवाहान	02	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर		/	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	05	-00	मिजानः-	04	-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:11:04 IST
Reason: SelfAttested